UPHR010032362026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट, हरदोई।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 1403/2026

संतोष कुमार पुत्र राम भरोसे राठौर निवासी मो० सुभाषनगर थाना कोतवाली शहर, जिला हरदोई।

---------- प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य -------- ---------- अभियोगी

1– प्रार्थी/अभियुक्त **संतोष कुमार** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–864/2021, अन्तर्गत धारा 323, 504 भा०द०सं० व धारा 3(2)(Va), 3(1)(द) एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट थाना कोतवाली शहर, जिला हरदोई में प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायालय में न्यायिक अभिरक्षा में है।

2– संक्षेप में अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थी दिनाक 7–10–21 को समय 4 बजे शाम को अपना ई–रिक्सा लेकर सुभाष नगर सवारिया छोडने गया था। वहाँ पर रहने वाले सन्तोष पुत्र अजात मिला तथा अपने दरवाजे से ई– रिक्शा हटाने में देर लगने पर सन्तोष ने मुझे जाति सूचक गालिया देते हुए अपने हाथ में लिए हुए डण्डा व लात घूसो से मारा पीटा जिससे प्रार्थी का सर फट गया व शरीर में काफी चोटे आयी। प्रार्थी मौके पर बेहोश हो गया रास्ते में आने जाने वाले व्यक्तियो ने प्रार्थी थाना को० शहर हरदोई पहुंचाया प्रार्थी अनुसूचित जाति उपजाति पासी बिरादरी का व्यक्ति है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट वादी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर दर्ज करायी गयी।

3– प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र में मुख्य रूप से यह आधार लिए गए हैं कि उसे उपरोक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी निर्दोष है। उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। माननीय उच्च न्यायालय में कोई जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत नही किया है, न विचाराधीन है और न निरस्त हुआ है। अतः जमानत पर अवमुक्त किये जाने की याचना की गयी है।

4– वादी को नोटिस जारी की गयी जो तामील हुयी, परन्तु वादी की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गयी।

5– जमानत प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में अभियुक्तपक्ष के विद्वान अधिवक्ता व अभियोजनपक्ष को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6– प्रार्थी/अभियुक्त पूर्व से अन्तरिम जमानत पर है। उसके द्वारा अन्तरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया हैं। धारा 3(2)(Va), 3(1)(द) एस०सी०/एस०टी०(पी०ए०) एक्ट के अतिरिक्त प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध अन्य अभिकथित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय हैं। अतः प्रकरण

Digitally signed by GYANENDRA TRIPATHI
Date: 2026.07.01 12:52:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है। तदनुसार प्रार्थनापत्र जमानत स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **संतोष कुमार** का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मु० 20,000/– **(बीस हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बन्धपत्र व इसी धनराशि की **दो प्रतिभू** प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है।

दिनांक 30–06–2026

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)

विशेष न्यायाधीश,एस०सी०/एस०टी(पी०ए०) एक्ट,

हरदोई।

ID–UP1574